न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः प्रज्ञा केवलरमानी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 62/2025 अपील (GCMS 2025/7)
पंजीयन दिनांक– 20/01/2025
निर्णय दिनांक– 20/08/2025

भंवर सिंह सिसोदिया पुत्र श्री देवी सिंह सिसोदिया, निवासी रोवा जगत, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर

–अपीलांट

बनाम

1. खुमाण लाल पिता श्री मोडिलाल लुहार, निवासी जगत, तहसील कुराबड, जिला उदयुपर
2. प्रताप सिंह पुत्र श्री केसर सिंह राजपूत, निवासी जगत, तहसील कुराबड, जिला उदयुपर
3. सोहन सिंह पुत्र श्री भीम सिंह राजपूत, निवासी जगत, तहसील कुराबड, जिला उदयुपर
4. सुरेश कुमार पुत्र श्री गौतम कुमार गर्ग, निवासी जगत, तहसील कुराबड, जिला उदयुपर
5. भूमिधारक तहसीलदार, तहसील कुराबड़, जिला उदयपुर

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेश त्रिपाटी – अधिवक्ता अपीलांट
2. तुलसी लौहार – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4
3. श्री मुरलीधर पालीवाल – राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 105/2024
निर्णय दिनांक 20.11.2024

<u>निर्णय</u>

दिनांक 20/08/2025

अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा के प्रकरण संख्या 105/2024 निर्णय दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध पेश की गयी।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खातेदार आवासीय आराजी संख्या 2596 मी. में राजस्व अभिलेखों में नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज कर सहवन से रास्ता गलत दर्शाने से नक्शा ट्रेस में मौका अनुसार रास्ते की नक्शा ट्रेस में शुद्धि हेतु अनुरोध किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की ओर से कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 20.11.2024 से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 136 का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

अंतिम बहस सुनने से पूर्व प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामे अनुसार राजस्व ग्राम जगत, तहसील कुराबड़ के आराजी नम्बर 2596 को कृषि से अकृषि में परिवर्तित करते हुये अलग-अलग टुकडे किये जिसके अनुसार प्रार्थीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज होना दर्शाया गया। यह भी बताया कि उक्त आराजी में आने जाने हेतु अलग से रास्ता भी कायम किया गया है जो आज भी मौके पर मौजूद है। राजस्व अभिलेखों में नक्शा ट्रेस में गलत इन्द्राज कर सहवन से गलत दर्शाना तथा मौके की वास्तविक स्थिति बाबत अपीलांट द्वारा पटवारी से विगत दिनांक 07.01.2025 को जारी प्रमाणित नक्शे की प्रति भी अपील के साथ पेश कर मौके पर भी इसी नक्शे के अनुसार वर्तमान में सभी जने काबिज होने से पक्षकारान की आपसी सहमति अनुसार नक्शे में रास्ते का संशोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

हमने प्रस्तुत राजीनामे एवं पत्रावली का अवलोकन किया। *पक्षकारान द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया है कि आराजी नम्बर 2596 में आने जाने हेतु कौनसा रास्ता किस आराजी में छोड़ा गया है। पक्षकारान का यह कहना है कि नक्शे में रास्ता दूसरी भूमि में दर्शा दिया गया है*

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

जिसको संशोधित किया जावे। धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरूस्ती उसी अभिलेख में की जा सकती है जहां गलती से कोई इन्द्राज हो गया हो। इस प्रकरण में पक्षकारान जिस रास्ते से आराजी नम्बर 2596 में आना जाना बताते है उसको नक्शे में दर्शाया ही नहीं गया है ऐसी स्थिति में राजस्व विभाग की प्रस्तुत धारा के अन्तर्गत नक्शे में नवीन इन्द्राज की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी पूर्व में रास्ता अंकित होने बाबत दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के कई अवसर देने उपरान्त भी पक्षकारान द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य सबुत के अभाव में अपीलांट की अपील खारिज की गई है।

उक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। पक्षकारान रास्ता कायम कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोई हेतु स्वतंत्र है।

अतः पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अस्वीकार करते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20.11.2024 बहाल रखा जाता है।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रज्ञा केवलरमानी)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)